रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 25, 2006/ज्येष्ठ 4, 1928

No. 87] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 2006/JYAISTHA 4, 1928

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 19 मई, 2006

सं. टीएएमपी/20/2006-एनएसआईसीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, संलग्न आदेशानुसार, न्हावा-शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड पर आईसीडी कंटेनरों के लिए रुकने का समय प्रभार की उगाही के संबन्ध में सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन से प्राप्त संदर्भ को निपटाता है और न्हावा-शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड के दरमान का संशोधन करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/20/2006-एनएसआईसीटी

सेंट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन **आवेदक**

आदेश

(मई 2006 के 11 वें दिन पारित)

सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी) ने अपने पत्र सं. सीडब्ल्यूसी/आरओ-एएचडी/डीयूएस/प्रशुल्क/2005-06/8631 दिनांक 5 दिसंबर 2005 द्वारा इस प्राधिकरण को एक संदर्भ प्रस्तुत किया है कि एनएसआईसीटी , आईसीडी आयात तथा निर्यात कंटनेरों के लिए 15 दिन नि:शुल्क रूकने का समय प्रदान करने से इनकार करता है । सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिन्दु संक्षेप में निम्नानुसार हैं :

(i) सीडब्ल्यूसी, गुजरात में वडोदरा, दशरथ और वापी पर अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का (आईसीडी) प्रचालन करता है ।

(ii) चूँकि इन आईसीडी से जेएनपीटी/एनएसआईसीटी तक नियमित रूप से रेलगाडी की सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं, अधिकांश कंटेनरों की इन आईसीडी तथा जेएनपीटी/एनएसआईसीटी के बीच सडक द्वारा ढुलाई की जाती है ।

(iii) दिनांक 21 फरवरी 2002 को पारित टीएएमपी आदेश के खण्ड 10(घ) तथा तत्पश्चात् दिनांक 4 अगस्त 2005 की अधिसूचना के अनुसार, आईसीडी के सभी, भरे हुए और खाली आयात/निर्यात कंटेनरों के लिए पहले पन्द्रह दिन नि:शुल्क हैं और इस नि:शुल्क अवधि के दौरान एनएसआईसीटी द्वारा रूकने के समय का प्रभार नहीं लिया जाना चाहिए । तथापि, आयात/निर्यात कंटेनरों के लिए पन्द्रह दिन नि:शुल्क रूकने का समय की अनुमति देने में एनएसआईसीटी उदासीन है । इससे निर्यातकों/आयातकों को , जो पिछवाडे की भूमिवाले आईसीडी का उपयोग करते हैं, अतिरिक्त आदान-प्रदान लागत लगती है।। अत: वे निकट स्थल पर स्थित कंटेनर भाडा स्टेशन (सीएफएस) का उपयोग करने के लिए विवश होते हैं जो पिछवाडे की भूमि में आईसीडी तथा सीएफएस को स्थापित करने के मूल प्रयोजन एवं पत्तन तथा गोदी क्षेत्रों को भीड मुक्त करने के लक्ष्य को ही परास्त कर देता है ।

(iv) प्राधिकरण हस्तक्षेप करे और प्राधिकरण के आदेश के खण्ड 10(घ) के प्रावधानों का अनुपालन हेतु एनएसआईसीटी को निदेश दें ।

2. सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रस्तुत किये हुए संदर्भ की प्रति को हमारे पत्र दिनांक 28 दिसंबर 2005 द्वारा एनएसआईसीटी को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था । एनएसआईसीटी से प्राप्त टिप्पणियों का सारांश निम्नप्रकार है :

(i) प्राधिकरण के आदेश के खण्ड 10 (घ) के अनुसार पन्द्रह दिन का नि:शुल्क रूकने का समय, सिर्फ रेलगाडी द्वारा ढुलाई किये गये कंटेनरों पर ही लागू होता है और सडक द्वारा ढुलाई किये गये कंटेनरों पर लागू नहीं होता है । यद्यपि एनएसआईसीटी दरमान, पन्द्रह दिन के नि:शुल्क रूकने के समय की पात्रता के लिए, आईसीडी केटेनरों की परिवहन की रीति के बारे में खासतौर पर कोई उल्लेख नहीं करता है, फिर भी प्रहस्तन पर उपलब्ध विविध प्रशुल्क शीर्षों से यह संदर्भ लिया जा सकता है कि नि:शुल्क रूकने का समय केवल रेलगाडी द्वारा भेजे गये कंटेनरों पर ही लागू होता है ।

(ii) एनएसआईसीटी दरमान के सामान्य नोट के अनुसार, अगर कोई शंका या संदिग्धता हो तो स्पष्टीकरण के लिए जेएनपीटी दरमान का अवलोकन किया जाना है । जेएनपीटी दरमान के अनुसार, रूकने का समय प्रभारों के परिकलन के प्रयोजन से , सडक द्वारा ढुलाई कराके कंटेनर यार्ड में भंडारित सभी आईसीडी कंटेनरों को (आयात या निर्यात, भरे हुए अथवा खाली) सडक द्वारा ढुलाई किये हुए और किसी कंटेनर के समान मानना चाहिए ।

(iii) रेलगाडी द्वारा ढुलाई किये हुए कंटेनरों के लिए ही हम अतिरिक्त नि:शुल्क अवधि प्रदान करते हैं । महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को प्रस्तुत किये जानेवाले राजस्व परिकलन के प्रयोजन के लिए हमने हमेशा सडक तथा रेलगाडी कंटेनरों पर अलग- अलग विचार किया है । इसके अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर भेद नहीं किया जाता है ।

(iv) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा जारी की हुई अधिसूचना सं. जी 194 दिनांक 25 सितंबर 2002, प्राधिकरण को व्यक्तिगत पक्षकारों से विचार करने हेतु अभ्यावेदन स्वीकार करने से निषिद्ध करती है और इस प्रकार उनपर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए ।

3. कंटेनरों और कन्टेनरों में भरे कार्गो के प्रहस्तन और आवागमन हेतु समेकित प्रभारों में वृद्धिकारी संशोधन के लिए एनएसआईसीटी के प्रस्ताव के संदर्भ से इस प्राधिकरण ने 7 नवम्बर 2000 को एक आदेश पारित किया था । दिनांक 5 दिसंबर 1998 के आदेश में निर्धारित रूकने का समय प्रभारों से संबंन्धित स्थिति 7 नवम्बर 2000 के प्रशुल्क आदेश में अपरिवर्तित रही । यह स्थिति एनएसआईसीटी के दरमान की जुलाई 2005 और मार्च 2006 में क्रमश: दिनांक 22 जुलाई 2005 के आदेश और दिनांक 7 मार्च 2006 के आदेश द्वारा की गई एक पक्षीय समीक्षा में भी अक्षुण्ण रही है ।

4. इस प्रकरण के संसाधन के दौरान एकत्रित की गयी सूचना की संपूर्णता के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :-

(i) एनएसआईसीटी ने, व्यक्तिगत पक्षकारों से प्राप्त अभ्यावेदनों को विचार हेतु स्वीकारने के लिए प्राधिकरण की शक्तियों के संबन्ध में एक आपत्ति उठायी है । इस सिलसिले में उसने, प्राधिकरण द्वारा जारी की गयी अधिसूचना दिनांक 25 सितंबर 2002, को संदर्भित किया है । दिनांक 25 सितंबर 2002 की उक्त अधिसूचना न्याय-निर्णय के लिए व्यक्तिगत पक्षकारों से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार करने से विरत रहने हेतु, महापत्तन न्यास अधिनियम के खण्ड 111 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किये गए नीति निर्देश के अनुपालन में इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश से संबन्धित है । भारत सरकार ने अपनी परवर्ती सूचना दिनांक 26 मार्च 2003 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि उसका यह निर्देश प्राधिकरण को, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरमान से संबन्धित आदेशों के विषय में व्याख्या/स्पष्टीकरण के आवेदनों को स्वीकार करने से नही रोकता है । प्रस्तुत प्रकरण एनएसआईसीटी के दरमान में संदेहों को दूर करने के संबंध में है । यह भी उल्लेखनीय है कि संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों का खण्ड 3.1.5 इस प्राधिकरण को व्यक्तिगत उपयोक्ताओं द्वारा दाखिल किये गये उन अभ्यावेदनों को, जिनमें प्रशुल्क निर्धारण सम्मिलित है, स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

(ii) जेएनपीटी में प्राप्त स्थिति के अनुरूप, आईसीडी कंटेनरों के लिए ग्राह्य नि:शुल्क दिन की संख्या, ऐसे आईसीडी कंटेनरों की ढुलाई की रीति पर निर्भर है । एनएसआईसीटी के दरमान के सामान्य नोट सं 8 के मद्देनज़र, एनएसआईसीटी पर प्रहस्तन किये गये आईसीडी कंटेनरों के लिए ग्राह्य नि:शुल्क दिन की संख्या भी ऐसे आईसीडी कंटेनरों की ढुलाई की रीति पर ही निर्भर है । ऐसी स्थिति में, एनएसआईसीटी के कंटेनर यार्ड पर भंडारित आईसीडी कंटेनर, अगर केवल रेलगाडी द्वारा ढुलाई किये जाते हैं तो जेएनपीटी में प्राप्त स्थिति के अनुसार 15 दिन नि:शुल्क रोकने के समय का लाभ उठायेंगे।

(iii) सडक द्वारा ढुलाई किये गये कंटेनरों के लिए जेएनपीटी दरमान में निर्धारित नि:शुल्क रूकने का समय इस तथ्य पर निर्भर रहेगा कि ऐसे आईसीडी कंटेनर लदे हुए अथवा खाली हैं क्योंकि खाली और लदे हुए कंटेनरों के लिए नि:शुल्क दिन की संख्या अलग-अलग निर्धारित हैं । चूँकि लदे हुए तथा खाली कंटेनरों के लिए नि:शुल्क रूकने का समय, एनएसआईसीटी के दरमान में, एक ही प्रशुल्क प्रविष्टि के अंतर्गत मिलता है, इस बात को भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि सडक द्वारा ढुलाई किए हुए और एनएसआईसीटी के कंटेनर यार्ड में भंडारित आईसीडी कंटेनरों (आयात अथवा निर्यात) के लिए नि:शुल्क रूकने का समय, आयात और निर्यात कंटेनरों के लिए लागू सामान्य प्रावधान द्वारा शासित होगा ।

(iv) यह स्पष्ट है कि एनएसआईसीटी द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सही है और सामान्य नोट सं. 8 की दृष्टि से दरमान की शर्तों के अनुरूप है। तथापि, किसी अभिव्यक्ति की संभावित संदिग्धता को दूर करने हेतु और जेएनपीटी के दरमान का संदर्भ लेने से बचने के लिए एनएसआईसीटी के दरमान में संशोधन करना श्रेष्ठतर व्यवस्था होगी ।

5.1 परिणामस्वरूप, और उपरोक्त कारणों से और समग्र विचारविमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण निम्नलिखित का अनुमोदन करता है :-

(i) एनएसआईसीटी के दरमान में खण्ड 9, रूकने का समय प्रभार के वर्तमान उपखण्ड-घ में इस सीमा तक परिवर्तन किया जाता है कि उपखण्ड-घ रेल द्वारा लाए ले जाए गए आईसीडी कंटेनरों पर लागू है ।

(ii) सडक द्वारा ढुलाई किये गये कंटेनरों के लिए निर्धारित नि:शुल्क दिन, खण्ड-9 रूकने का समय प्रभार के वर्तमान उपखण्ड-क, उपखण्ड-ख तथा उपखण्ड-ग द्वारा शासित होंगे ।

5.2 एनएसआईसीटी को अपना दरमान तदनुसार संशोधित करने हेतु निर्देशित किया जाता है ।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/05-असा.]